न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 93/2025 निर्णय दिनांक 12-02-26
जीसीएमएस संख्या (2025/348)

1. हरीराम पुत्र श्री हड़मानराम जाति ब्रहामण निवासी पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. हेतराम पुत्र श्री हड़मानराम जाति ब्रहामण निवासी पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. चेतनदास दत्तक पुत्र श्री हरजीदास जाति बैरागी निवासी पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20–12–2022
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितः–

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सतपाल सहु, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 20–12–2022 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरणसर के खसरा नम्बर 769/556 तादादी 15 बीघा, खसरा नम्बर 777/533 में 6.8283 हैक्टर, खसरा नम्बर 777/533, 321, 297/1, 528, 300/1, 553 सहित 63.11 बीघा भूमि बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के स्थगन प्रार्थना को खारिज किया गया है।

खसरा नम्बर 769/556 तादादी 15 बीघा पर अपीलांट का जायज अरसा करीब 60 वर्ष पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अमला से मिलीभगत कर राजस्व व बन्दोबस्त से साठ–गाठ कर आदेश पारित करवाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका कमिश्नर नियुक्त किये, बिना समूचित जानकारी प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कही भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जवाब का उल्लेख नही है। तहसीलदार द्वारा मौके व रिकॉर्ड की स्थिति की सूचना एकत्रित कर और खसरा नम्बर 769/556 की 15 बीघा भूमि के आवंटन आदेश के होने ना होने कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिये जाने एवं सन् 2012 से उक्त विवादित रकबे की तहसील व कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूप से अभिलेख संबंधी प्रमाण एकत्र कर अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब दावा व जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16–08–2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तीन तारीख पेशियो के बाद तुरन्त निर्णय पारित कर दिया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन 4महत्वूपर्ण बिन्दुओ, प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर विस्तृत विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 20–12–2022 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024(4) पेज 380, आरआरटी 2017(1) पेज 491, आरआरटी 2022(2) पेज 84 पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना–देना नही है। खसरा नम्बर 769/556 तादादी 15 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा व काश्त है। अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अपीलांट रेस्पोडेन्ट की भूमि पर काबिज होना चाहते है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि की हद तक स्थगन खारिज किया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का किस प्रकार से कब्जा काश्त है इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। खसरा नम्बर 769/556 तादादी 15 बीघा भूमि के रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1984 पेज 492, आरआरटी 2016 (2) पेज 1323, आरआरटी 2016(2) पेज 1144, आरआरटी 2016–17 पेज 637, आरआरटी 2018(2) पेज 1275, आरआरडी 1984 पेज 492, आरआरटी 2022(1) पेज 114 पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा पंचारा अमरपुरा तहसील लूणकरणसर के खसरा नम्बर 769/556 तादादी 15 बीघा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर अपीलांट द्वारा उक्त अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है।

अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा द्वारा यह विनिश्चय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है अथवा नही? क्या अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित की गई है अथवा नही?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज आराजी पर स्थगन का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट द्वारा यह साबित नही किया जा सका कि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज इस प्रश्नगत भूमि से अपीलांट का क्या संबंध है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज की छायाप्रतियॉ अपठनीय है जिनके आधार पर किसी विनिश्चय पर नही पहुँचा जा सकता। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे कि प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में साबित हो। रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज आराजी पर स्थगन आदेश जारी न होने पर अपीलांट को किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति संभावित है, इसे साबित करने में अपीलांट विफल रहे है। रेस्पोडेन्ट इस भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2039 से संवत 2082 तक के अवलोकन से इनमें रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायरी के दिन रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार था। इस सूरत में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अंतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का आदेश दिनांक 20–12–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 12-02-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर